फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 91/2023

उनवान

श्री नारायण लखाई नि० बागवा .... बनाम श्री पप्पु आदि नि० बागवा ....

धारा 111-128 प्रा०पत्र/राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
27/3/23	बाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 29/3/23 ... को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
29/3/23	पत्रावली पेश, दुरी/ प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण के जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण अनुपस्थित बार-बार आवाजें लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी/अधिवक्ता की बहस पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 LRAct का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से किया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय मुताबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91/2023	27.02..2023	29.03.2023

उनवान

1. श्री नारायण पिता डालू बलाई निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री पप्पू पिता लालुराम बारेठ(ढोली) निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रवीण पिता लालुराम बारेठ(ढोली) निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री मांगी पत्नी लालुराम बारेठ (ढोली) निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्री गोविन्द पिता लालुराम बारेठ(ढोली) निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री रंगलाल पिता भुवाना बैरवा निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री नन्दराम पिता कजोड कुम्हार निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–– विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मांगीलाल सैन

एक तरफा विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 207 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1353/4, 360/5 किता 02 कुल रकबा 2.4531 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 29.03.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा सांगवा प0ह0 सांगवा भू0अ0नि0क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 207 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 1353/4, 360/5 किता 02 कुल रकबा 2.4531 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न होतो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका वं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमाकंन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा